न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/103

1. हर्षद शर्मा आयु 14 वर्ष आत्मज श्री यशवन्त शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री यशवंत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1211/11 नन्दा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
2. कुमारी यश्स्वी शर्मा आयु 16 वर्ष पुत्री श्री यशवन्त शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री यशवंत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1211/11 नन्दा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
3. कुमारी ईशा शर्मा आयु 14 वर्ष पुत्री श्री शिवप्रसाद जी शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
4. पीयूष शर्मा आयु 11 वर्ष आत्मज श्री शिवप्रसाद जी शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।

बनाम

1. शंकर लाल शर्मा आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम निरंजनपुर हनुमान मंदिर के पास तहसील इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
2. यशवंत शर्मा आत्मज शंकर लाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1211/11 नन्दा नगर इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रेदश) ।
3. शिव प्रसाद शर्मा आत्मज श्री शंकर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
4. राजस्थान शासन जरिये जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरविन्द गोखले, श्री जय कुमार चित्तोडा, अभिभाषकगण, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

निर्णित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.12.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया किया ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में अपर जिला जज इन्दौर के निर्णय दिनांक 07.08.2015 की प्रमाणित प्रति एवं अपर जिला जज इन्दौर के आदेश दिनांक 06.05.2017 की प्रमाणित प्रति पेश की हैं ।

10. इसी प्रकार अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा में एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर बैंच में अपीलान्टगण के द्वारा पेश किये एफ0ए0 संख्या 242/2017, प्रमाणित प्रति आदेशिका दिनांक 26.07.2017, 15.11.2017, 23.02.2018, 21.03.2018, 22.06.2018, 18.07.2018, 12.09.2018, 01.05.2019, 19.06.2019 पेश की गई हैं । दोनों पक्षकारों के द्वारा न्यायालय हाजा में पेश किये गये दस्तावेजात में अपील/दावा एवं उसमें पारित निण्रय की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जो प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाते हैं और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्ट का दाव खारिज करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा उनके पिता श्री गंगाराम के अर्जित धन से कय की थी । संयुक्त हिन्दू परिवार की आमदनी से कय की गई आराजी पैतृक है जिसमें अपीलान्ट का जन्म से ही विधिक अधिकार प्राप्त है । अपीलान्ट का दावा विधि से वर्जित नहीं है । प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए क्योंकि आराजी पैतृक है अथवा नहीं यह साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है । पैतृक सम्पत्ति का बिन्दु तथ्य एवं साक्ष्य का मिश्रित प्रश्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह निर्णय पारित करने में त्रुटि की है कि पुत्र एवं पौत्र को पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा पिता की मृत्यु के बाद ही हो सकता है । वादग्रस्त आराजी शंकर लाल ने सन् 1982 में कय की है । अपीलान्ट का यह कथन है कि यह उनके पिता गंगाराम की आय से कय की गई थी । इसको जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर ही तय

किया जा सकता था कि आराजी पैतृक आय से क्रय की गई है अथवा नहीं । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में इस बिन्दु को तय नहीं किया जा सकता । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को दावे में अंकित तथ्यों के आधार पर ही निस्तारित किया जा सकता है और इसमें रेस्पोडेन्ट के कथन एवं दस्तावेजात का अवलोकन नहीं किया जा सकता । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2007–08 (एससी) पेज 251 उद्धरत किया जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन एवं हक घोषणा के दावे को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में खारिज नहीं किया जा सकता है । इन्दौर में जो प्रकरण पक्षकारों के मध्य लम्बित है उसमें इस कृषि भूमि को शामिल नहीं किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि इस कृषि भूमि के लिए अलग से कार्यवाही की जा रही है । अतः आदेश 02 नियम 02 सीपीसी के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2018 (2) पेज 1425, आरआरटी 2019 (1) पेज 264, आरआरडी 1978 पेज 375, MANU/MP/0768/2007 माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश बैंच ग्वालियर विजय गोयल बनाम मदन लाल गोयल अपील संख्या 210/2002, आरबीजे 2017 पेज 721, आरबीजे (16) पेज 310 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 शंकर लाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से की है और क्रय के उपरान्त यह आराजी उनके खाते में दर्ज हुई है । आराजी पैतृक नहीं है वरन् शंकर लाल की स्वअर्जित है जिसके बाबत् शंकर लाल के जीवनकाल में अपीलान्टगण को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलान्टगण ने एक दावा इन्दौर में भी पेश किया था । अपर जिला जज इन्दौर के समक्ष अपीलान्टगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया था वो दिनांक 06.05.2017 को आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खारिज किया जा चुका है और यह माना है कि पिता के जीवनकाल में अपीलान्टगण को कोई भी अधिकार उनकी सम्पत्ति में प्राप्त नहीं है । अपीलान्टगण के द्वारा इन्दौर में जो दावा पेश किया गया है उसमें इस कृषि भूमि को शामिल नहीं किया है । इस कारण आदेश 02 नियम 02 सीपीसी के तहत इस सम्पत्ति के बाबत् पृथक से किया गया दावा चलने योग्य नहीं है । दावा अपीलान्टगण ने पेश किया है परन्तु दावे के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि आराजी पैतृक प्रमाणित होती हो । दावे की मद संख्या 03 में यह अंकित किया गया है वादीगण के दादा ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया है इससे भी यही प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी गंगाराम के खाते में नहीं रही वरन् शंकर लाल के द्वारा क्रय की गई थी । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि सीताराम के खाते की आराजी बाबत् वादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की है सिर्फ शंकर लाल के खाते में दर्ज आराजी के बाबत् आपत्ति की है । वादग्रस्त आराजी के तन्हा स्वामी रेस्पोडेन्ट हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने के पश्चात् यह आराजी रेस्पोडेन्ट ने क्रय की है । प्रतिवादी क्रम 02 और 03 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते की सम्पत्ति के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं घोषणा का दवा इन्दौर अदालत में पेश किया था जिसको न्यायालय के द्वारा यह कथन करते हुए खारिज किया गया था कि अचल सम्पत्ति जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से शंकर एवं उनकी पत्नी ने क्रय की है और वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं माना । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी क्रम 01 रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1987

(एससी) पेज 1987, एआईआर 1986 (एससी) पेज 1753, एमपीएलजे 2012 (2) पेज 713, एमपीएलजे 2002 (2) पेज 576, एआईआर 2016 (एससी) पेज 1169 उत्तमचन्द बनाम सोभाग सिंह उद्धरत की ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि अपीलान्ट ने इन्दौर में जिस सम्पत्ति के बाबत् दावा पेश किया गया था जिसमें यह कृषि भूमि शामिल नहीं थी और उस दावे में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया था कि इसके लिए अलग से कार्यवाही की जा रही है । इस कारण आदेश 02 नियम 02 सीपीसी इस प्रकरण पर लागू नहीं होगा और अपर जिला जज इन्दोर के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में एफ0ए0 संख्या 242/2017 पेश की जा चुकी है जो जैरकार है ।

14. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2047–50 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 115 में खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा शंकर लाल वल्द गंगाराम के खाते में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 01.04.1995 से 31.03.2015 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 377 रकबा 2.20 हैक्टर बने हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि पन्ना लाल वलद भंवर लाल के खाते में दर्ज है । इसके अलावा विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है एवं न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 इन्दौर के आदेश दिनांक 25.02.2015 संलग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट कम 02 और 03 के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 01 के खिलाफ जो दावा पेश किया गया था उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । इसके अलावा न्यायाधीश वर्ग–2 के समक्ष पेश किये रेस्पोडेन्ट कम 02 और 03 के दावे बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रति संलग्न है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादीगण जो कि घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन के लिए पेश किया गया है को आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खारिज किया गया है । वादीगण द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक है क्योंकि रेस्पोडेन्ट शंकर लाल ने गंगाराम से अर्जित धन संयुक्त हिन्दू परिवार की आमदनी से क्रय की थी परन्तु उन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य दावे के साथ पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि यह संयुक्त हिन्दू परिवार एवं गंगाराम के अर्जित धन से क्रय की गई थी । वैसे भी कृषि भूमि दावे के अनुसार शंकर के तन्हा खाते में दर्ज है । दावे की मद संख्या 03 में वादीगण ने यही कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी शंकर लाल के खाते में दर्ज है और शंकर लाल रेस्पोडेन्ट के जीवनकाल में ऐसी सम्पत्ति जो कि उनके तन्हा खाते में दर्ज है उसमें वादीगण को हक घोषणा एवं विभाजन का दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है ।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एआईआर 2016 (एससी) पेज 1169 उत्तम चन्द बनाम सोभाग में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में – कि यदि अपीलान्ट के इस कथन को सही मान लिया जावे कि वादग्रस्त आराजी पैतृक थी एवं पैतृक आय से क्रय की गई थी तो भी जैसे ही यह आराजी शंकर लाल के तन्हा खाते में दर्ज हो गई तो वह संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नहीं रहेगी और इस आराजी के लिए विभाजन का दावा शंकर लाल जी के

जीवनकाल में पोषनीय नहीं होगा । इसके अलावा विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत अन्य नजीरों की रोशनी में भी शंकर लाल रेस्पोडेन्ट को धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो सम्पत्ति प्राप्त हुई है उस पर वादीगण को उनके जीवनकाल में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं । एमपीएलजे 2012 (2) पेज 713 भी यहाँ चस्पा होता है । इन समस्त नजीरों एवं तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2016 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27.12.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/103

1. हर्षद शर्मा आयु 14 वर्ष आत्मज श्री यशवन्त शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री यशवंत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1211/11 नन्दा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
2. कुमारी यश्स्वी शर्मा आयु 16 वर्ष पुत्री श्री यशवन्त शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री यशवंत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1211/ 11 नन्दा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
3. कुमारी ईशा शर्मा आयु 14 वर्ष पुत्री श्री शिवप्रसाद जी शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
4. पीयूष शर्मा आयु 11 वर्ष आत्मज श्री शिवप्रसाद जी शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. शंकर लाल शर्मा आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम निरंजनपुर हनुमान मंदिर के पास तहसील इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
2. यशवंत शर्मा आत्मज शंकर लाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1211/11 नन्दा नगर इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रेदश) ।
3. शिव प्रसाद शर्मा आत्मज श्री शंकर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
4. राजस्थान शासन जरिये जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

वाद संख्या: 196/दावा/2015

1. हर्षद शर्मा आयु 14 वर्ष आत्मज श्री यशवन्त शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री यशवंत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1211/11 नन्दा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।

2. कुमारी यशस्वी शर्मा आयु 16 वर्ष पुत्री श्री यशवन्त शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री यशवंत शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1211/ 11 नन्दा नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
3. कुमारी ईशा शर्मा आयु 14 वर्ष पुत्री श्री शिवप्रसाद जी शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
4. पीयूष शर्मा आयु 11 वर्ष आत्मज श्री शिवप्रसाद जी शर्मा नाबालिग जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।

---वादी

बनाम

1. शंकर लाल शर्मा आत्मज स्वर्गीय श्री गंगाराम जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम निरंजनपुर हनुमान मंदिर के पास तहसील इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
2. यशवंत शर्मा आत्मज शंकर लाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं0 1211/11 नन्दा नगर इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रेदश) ।
3. शिव प्रसाद शर्मा आत्मज श्री शंकर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 1271/26 नन्दा नगर इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) ।
4. राजस्थान शासन जरिये जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहीसलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.12.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री अरविन्द गोखले एवं अभिभाषक श्री जय कुमार चित्तौडा के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 15.12.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिकी आज तारीख 30.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा